

कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षा किये गये लेखों के आधार पर, राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा है। यह विश्लेषणात्मक समीक्षा राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के अनुमान, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2004 एवं इसके द्वितीय संशोधन अधिनियम 2011, बजट अभिलेखों, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं से प्राप्त विभिन्न वित्तीय आंकड़ों पर आधारित है। यह प्रतिवेदन चार अध्यायों में है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह अध्याय राज्य के सम्पूर्ण वित्त की प्रवृत्ति को रेखांकित करता है, बजट अनुमानों के विरुद्ध वास्तविक व्यय, वचनबद्ध व्ययों के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा सीधे तौर पर (बिना राज्य सरकार के बजट के माध्यम से) राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित की गयी धनराशियों का संक्षिप्त विवरण भी है।

अध्याय 2 विनियोग लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित है। इसमें अनुदानवार विनियोगों, बजट अनुमानों की तैयारियाँ तथा शासन के विभिन्न विभागों द्वारा किस प्रकार से आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किया गया है, का विवरण है।

अध्याय 3 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा-जोखा है।

अध्याय 4 में विविध आरक्षित निधियों के प्रबन्धन पर वृहद प्रस्तर शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय 1: राज्य सरकार के वित्त

राजकोषीय स्थिति

- जैसा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2004 एवं इसके द्वितीय संशोधन 2011 द्वारा निर्धारित किया गया था, राज्य सरकार के पास ₹ 10,067 करोड़ का राजस्व आधिक्य था। राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से कम था एवं वर्ष 2013–14 के अन्त में कुल देयता, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 43.4 प्रतिशत से कम बनाए रखा। राजस्व आधिक्य मुख्यतया राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के फलस्वरूप था।

(प्रस्तर 1.1.2)

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित निधि

- भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सीधे निधियों का हस्तान्तरण करती है। वर्तमान तंत्र के अन्तर्गत यह निधियाँ राज्य कोषागार तन्त्र के माध्यम से नहीं गुजरती हैं और इस कारण राज्य सरकार के वित्त लेखे में प्रदर्शित नहीं होती हैं। भारत सरकार ने

वर्ष 2013–14 में ₹ 12,282 करोड़ राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित किया।

(प्रस्तर 1.2.2)

राजस्व प्राप्तियाँ

- राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2012–13 के ₹ 1,45,904 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2013–14 में ₹ 1,68,214 करोड़ हो गयी जो मुख्यतः कर राजस्व, करेतर राजस्व, भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुदान एवं केन्द्रीय करों के हस्तान्तरण में वृद्धि के कारण हुई।

(प्रस्तर 1.3, 1.3.1.1, 1.3.2 एवं 1.3.3)

राजस्व व्यय

- राजस्व व्यय वर्ष 2012–13 के ₹ 140,724 करोड़ से बढ़कर (12 प्रतिशत) वर्ष 2013–14 में ₹ 1,58,147 करोड़ हो गया।

(प्रस्तर 1.6.2)

- राजस्व व्यय के अंतर्गत, वर्ष 2012–13 के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में, आयोजनेत्तर व्यय में ₹ 11,644 करोड़ (10 प्रतिशत) एवं आयोजनागत व्यय में ₹ 5,779 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 1.7.1.2)

ऋण संवहनीयता

- वर्ष 2013–14 के अन्त में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 31.64 प्रतिशत था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा 2014–15 के अन्त तक निर्धारित 41.9 प्रतिशत से कम था।

(प्रस्तर 1.1.2)

अध्याय 2: वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

अनुचित बजट के कारण अत्यधिक बचत

- वर्ष 2013–14 में ₹ 38,715 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 35,206.95 करोड़ की कुल बचत थी जो ₹ 3,508 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

(प्रस्तर 2.2)

- कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज), गृह विभाग (पुलिस), चिकित्सा विभाग (एलोपैथी), नगर विकास विभाग, न्याय विभाग, महिला एवं बाल कल्याण, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), शिक्षा विभाग (माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा), समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) एवं सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत हो रही है।

(प्रस्तर 2.3.2)

अनुमोदित प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमितीकरण

- वर्ष 2005–13 की अवधि के व्याधिक्य ₹ 17,743.99 करोड़ के आधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।

(प्रस्तर 2.3.4)

अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान एवं निधियों का अत्यधिक, अनावश्यक पुनर्विनियोग

- धनराशियों के अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान एवं अत्यधिक, अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण भी पाये गये। अनुमानित बचतों को समर्पित न किये जाने के प्रकरण भी प्रकाश में आये। वर्ष के अन्त में व्यय का बाहुल्य भी वित्तीय प्रबंधन की एक गम्भीर समस्या है।

(प्रस्तर 2.3.6, 2.3.7, 2.3.10 एवं 2.3.13)

अध्याय 3: वित्तीय रिपोर्टिंग

नियमों एवं कार्यप्रणालियों के अनुपालन में कमियाँ

- अनुदान प्राप्तकर्ताओं से अत्यधिक धनराशि (₹ 1,11,348.81 करोड़) के उपभोग प्रमाण—पत्र अप्राप्त थे।

(प्रस्तर 3.1)

- 31 मार्च 2014 तक ₹ 115.96 करोड़ के 7,032 सार आकस्मिक बिलों के विस्तृत आकस्मिक बिल प्रतीक्षित थे।

(प्रस्तर 3.2)

- मार्च 2014 तक 1,494 वैयक्तिक जमा खातों में ₹ 5,410.50 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध थी।

(प्रस्तर 3.8)

अध्याय 4: 'विविध आरक्षित निधियों का प्रबन्धन' पर वृहद प्रस्तर

- कुल 19 आरक्षित निधियों में से 10 आरक्षित निधियाँ संचालित थीं एवं नौ आरक्षित निधियाँ विगत चार से 14 वर्षों से असंचालित थीं।

(प्रस्तर 4.5)

- सरकार ने रिजर्व बैंक की संस्तुति के बावजूद गारण्टी रिडेम्शन निधि का सृजन नहीं किया।

(प्रस्तर 4.7.1)

- सरकार ने बारहवें वित्त आयोग एवं रिजर्व बैंक की संस्तुति के बावजूद समेकित सिंकिंग फण्ड का सृजन नहीं किया।

(प्रस्तर 4.8.1.2)

- दैवीय आपदा राहत निधि में बिना व्यय के पड़ी रही धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरित नहीं की गई।

(प्रस्तर 4.9.1)